174

संख्या– 62 /XXVIII–5–2013–74/2011

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः6 फरवरी, 2013

विषयः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालधनचौड़, रामनगर, जनपद नैनीताल के भवन निर्माण की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1502/XXVIII–5–2011–74/2011, दिनांक 12.10.2011 एवं आपके पत्र सं0–7प/1/21/2011/38236, दिनांक 08.01.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालधनचौड़, जनपद नैनीताल के निर्माणाधीन कार्यो हेतु गठित प्राक्कलन ₹336.80 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹325.20 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹295.91 लाख तथा अधिप्राप्ति निमयावली के अनुसार किये जाने वाले कार्यो हेतु ₹29.29 लाख) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹90.00 लाख (रूपये नब्बे लाख मात्र) की धनराशि संलग्न सॉफ्टवेयर आवंटन आई0डी0सं0–एस1302300080 के माध्यम से अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. आगणन में इंगित अधिप्राप्ति संबंधी ₹29.29 लाख के कार्यो को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के अनुसार किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर, नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19.06.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

P.T.O

8. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012 एवं शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों एवं उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

11. कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक15.12.2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0–30 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 0301–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (चालू अंश) 00–आयोजनागत, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–203(P)/XXVII(3)/2012–13, दिनांक 06 फरवरी, 2013 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या– (1)/XXVIII–5–2013–74/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/ नैनीताल।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
5– निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर, जनपद नैनीताल।
6– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।